न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
039/2023(रा.प्रा.प.) (GCMS 2023/311)	**20.10.2023**	**23.07.2024**

अनवान

1. प्रहलाद पिता गौतम चमार उम्र वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती भंवरी पत्नी गौतम चमार उम्र वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. शौकिन पिता कैलाश चन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बडावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	हेमंत गर्ग	प्रार्थीगण
	खुमराज कुमाव	अप्रार्थी संख्या 1
	भैरुलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्या 2

निगरानी अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध भू–आवंटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा बमिसल संख्या 005/2021 दिनांक 03.11.2021

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी को मौजा मैलाना तहसील निम्बाहेडा की बिलानाम आराजी संख्या 1638 रकबा 3.40 हैक्टेयर में से 1.08 हैक्टेयर भूमि के संबंध में भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण का काफी पुराना कब्जा हैं जिसकी कोई जांच पडताल नहीं थी। विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 20.12.2023 को विपक्षी संख्या 1 की और से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनके अधिवक्ता हाजिर आये और अधिकार पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर रहे। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा का मूल अभिलेख पत्र क्रमांक/राजस्व/ 2023/1274 दिनांक 04.12.2023 से प्राप्त हुआ है जो कि पत्रावली के साथ हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 30.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 के और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 03.07.2024 को प्रार्थीगण की और से प्रार्थना–पत्र बाबत् निगरानी निगराकार नहीं चलाने बाबत् पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो बाबत् कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया गया।

हाजिर राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना–पत्र में माध्यम से विधिक तथ्यों के संबंध में उज्र/एतराज किया जाकर प्रकरण में विधिक तथ्यों को उठाया गया है, एवं प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी है, अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है। अतः पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा निगराधीन आवंटन आदेश दिनांक 03.11.2021 को चुनौती प्रदान कर आवंटन के संबंध में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि होना अवगत कराया गया है। जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण द्वारा उठाई गये तथ्यों का खण्डन कर आवंटन पूर्ण रूप से वैधानिक होना अवगत कराया गया है। इस संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(04) में प्रावधित किया गया है कि जिला कलक्टर को स्वयं संज्ञान से भी किसी आवंटन की जांच/सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है एवं हस्तगत प्रकरण में मूल अभिलेख पत्रावली भी रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर मौजा मैलाना की बिलानाम आराजी संख्या 2678/1638 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया गया है। विवादित बिलानाम आराजीयात निगराकार के कब्जे काश्त में चली आ रही है। विपक्षी संख्या 1 ग्राम बडावली का स्थाई निवासी होकर विपक्षी के पिता के नाम पर ग्राम बडावली में कृषि आराजीयात भी स्थित है। मौके पर विपक्षी संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है ना ही उक्त आराजीयात के आस–पास विपक्षी की अन्य आराजीयात भी स्थित नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवंटित आराजी संख्या 2678/1628 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि से लगती हुई भूमि आराजी संख्या 1668 रकबा 1.08 हैक्टेयर व आराजी संख्या 1669 रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि निगराकार की खातेदारी की है। जिससे निगराकार अपनी आराजीयात के साथ आवंटित भूमि पर काबिज हो शान्तिपूर्ण काश्त कर उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है।

विपक्षी सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन हैं अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकुल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान मैलाना को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुनाया गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच पडताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षी को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना–पत्र में बताया कि भू–आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी को आवंटन नियमों के अधीन किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भू–आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है।

निगराकार का कोई कब्जा विवादित आवंटित शुदा भूमि पर कभी नहीं रहा है, विपक्षी ग्राम मैलाना में अपनी भुआ राधा के साथ स्थाई रूप से रहता है, और बडावली भी आता–जाता है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर आवेदन पेश किया है। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आते है और आवंटन की पूरी पात्रता रखती है।

विपक्षी को किया गया आवंटन पूर्णतः विधि अनुार व नियमों के अनुसार किया गया है। आवंटन निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। अंत में प्रार्थना की गई कि विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :–

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1)Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.

(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.

(3) XXX delted XXX]

(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

(i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated fromthe same source, perference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;

(iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन आदेश के कॉलम संख्या 3 के उप–कॉलम 3 में आवंटिती द्वारा भूमि के अनाधिकृत अधिभोग की समयावधि 03 वर्ष अंकित की गई हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी इत्यादि नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती हैं।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह प्रमाणित हो कि भूमि आवंटन किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 5 व 6 की समुचित पालना की गई हैं।

नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन–पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि प्ररूप–2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हैं, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे हस्तगत आवंटन विधि अनुसार पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदित होता हैं।

इसके साथ ही आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि उभयपक्षकारान द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उक्त आवंटन आराजी संख्या 1638 रकबा 3.40 हैक्टेयर भूमि से किया गया है, ऐसी स्थिति 3.40 हैक्टेयर भूमि में से विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत् पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं।

इसके साथ ही आवंटित भूमि पर अप्रार्थी कब्जा एवं आवंटन शर्तो की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके की विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त हैं। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। केवल मात्र मौखिक कथन किये जाने से यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसके साथ ही जहां तक आवंटित भूमि पर प्रार्थी कब्जा होने का तथ्य प्रार्थी द्वारा उठाया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित हो की आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। यह तथ्य केवल मौखिक कथनों से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। कब्जा बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित नहीं हो सकता है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। इसके साथ ही यदि कब्जा प्रार्थी का मान भी लिया जाये तो निश्चित तौर प्रार्थी अतिचारी की श्रेणी में है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत में **RRD 1998** पेज संख्या 445 में प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी राजकीय भूमि यदि किसी अतिक्रमी के कब्जे में हो तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(36) एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत **(Unoccupied land available for allotment)** के लिये उपलब्ध है एवं पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो की प्रार्थीगण द्वारा नियम 20 के तहत सक्षम स्तर पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी संख्या 1 को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 005/2021 दिनांक 03.11.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थी संख्या 1 का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 005/2021 दिनांक 03.11.2021 का आवंटन निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 005/2021 दिनांक 03.11.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के लौटाया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्णय की प्रमाणित प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**23.07.2024**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official